

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 6922

दिनांक - 25.08.25

प्रार्थी  
1 अभिषेक अग्रवाल  
पुत्र राजेन्द्र किशोर  
अग्रवाल निवासी  
प्रतापजी की पोल  
तहसील व जिला  
बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 अजय कुमार 2 जुंजार पिरारान मगाराम जाति सैन निवासी बाड़मेर 3 लक्ष्मी पत्नि करनाराम निवासी महावीर नगर मुख्य सडक बाड़मेर 4 कल्याणसिंह पुत्र वागसिंह निवासी गुणेशाणियों की ढाणी, धोरिमना 5 किरताराम पुत्र जालूराम जाति जाट निवासी खानजी का तला, चौखला तहसील बाटाडू 6 चम्पालाल पुत्र मोहनलाल माली निवासी बलदेव नगर बाड़मेर 7 जोगाराम पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी बेरिवाला तला, तहसील ग्रामीण बाड़मेर 8 रूपराम पुत्र मेहराराम जाति जाट निवासी बलदेव नगर बाड़मेर 9 शांति पुत्री हनुमानराम जाति जाट निवासी गली नं. 1 गांधी नगर बाड़मेर 10 हसराम पुत्र उकाराम निवासी मेघवालों का वास, गायत्री चौक बाड़मेर 11 लीलादेवी पत्नि मांगीलाल निवासी बाल मंदिर के पास बाड़मेर 12 पूराराम पुत्र मेराजराम जाति जाट निवासी मिठौडा तहसील सिवाना जिला बालोतरा 13 भीखचन्द पुत्र नथमल जैन निवासी कल्याणपुरा मार्ग बाड़मेर 14 राणाराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी शौभाला जेतमाल तहसील चौहटन 15 मंजूदेवी पत्नि चम्पालाल जाति माली निवासी बलदेव नगर बाड़मेर जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 359/2025

दिनांक-14/08/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बाड़मेर आगोर पटवार हल्का बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 3541/2304 रकबा 0.9793 हैक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्यवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,

उप खण्ड अधिकारी

बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/ 6923 - 26

दिनांक-

25.08.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाड़मेर आगोर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी अभिषेक अग्रवाल पुत्र राजेन्द्र किशोर अग्रवाल निवासी प्रतापजी की पोल तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण अजय कुमार पुत्र मगाराम जाति सैन निवासी बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,

उप खण्ड अधिकारी

बाड़मेर